

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक / सीअर / 2021 / 186

दिनांक 9-4-21

प्राथी	व्याम	विप्राथीगण
1. सुमारखा पुत्र रमजानखा जाति मुसलमान निवासी वजावास तहो पचपदरा जिला बाड़मेर		1. भीखाखा पुत्र रमजानखा जाति मुसलमान निवासी वजावास 2. सुकीदेवी पत्नी सांवलाराण जाति प्रजापत नि. वजावास 3. नरसिंघाराण पुत्र मूलाराण जाति प्रजापत नि. वजावास 4. पेपोदेवी पत्नी वगताशराण जाति प्रजापत नि. वजावास 5. सुखदेव पुत्र भीसाराण जाति प्रजापत नि. वजावास 6. नारणाराण पुत्र भीसाराण जाति प्रजापत नि. वजावास 7. परसाराण पुत्र भीसाराण जाति प्रजापत नि. वजावास 8. करनाराण पुत्र भीसाराण जाति प्रजापत नि. वजावास 9. रूघनाथाराण पुत्र भीसाराण जाति प्रजापत नि. वजावास 10. सांवलाराण पुत्र जोगाराण जाति प्रजापत नि. वजावास 11. शेरसिंह पुत्र जगसिंह जाति राजपुत नि. मेकरणा 12. भीमसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपुत नि. मेकरणा 13. जालनसिंह पुत्र जालसिंह जाति राजपुत नि. मेकरणा 14. राणा पुत्र शोमराज जाति प्रजापत नि. वजावास 15. राजस्थान सरकार जरिये तह. पचपदरा जिला बाड़मेर

मुकदमा नंबर 38/2021

आदेश

दिनांक 9-4-21

उपर्युक्त प्रकरण मौजा वजावास पटवार हल्का गोल सोढा भू अगिलेखा निरीक्षक क्षेत्र दूदवा में खसरा नंबर 103 रकबा 06.17 बीघा किस्म रेल दोगम खसरा नंबर 105 रकबा 10.18 बीघा किस्म रेल दोगम सहस्रद निवाहित खसरा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्राथीगण व अप्राथीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पथगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपय 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपय मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्राथीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इम्दाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



क्रमांक / सीअर / 2021 / 187-191

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना .....को पालना हेतु
3. पटवारी वजावास पटवार क्षेत्र गोल सोढा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर। को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
4. प्राथीगण सुमारखा पुत्र रमजानखा जाति मुसलमान निवासी वजावास तहो पचपदरा जिला बाड़मेर
5. विप्राथीगण भीखाखा पुत्र रमजानखा जाति मुसलमान निवासी वजावास

(नरेश सोनी)  
उप सहायक निरीक्षक  
(S.D.O.) बालोतरा  
दिनांक 9-4-21

उप सहायक निरीक्षक  
(S.D.O.) बालोतरा